उद्योग संचालनालय,मध्यप्रदेश
(अधोसंरचना विकास कक्ष)

क्रमांक 192 /अधोविक/(बी–2)/2015/ भोपाल,दिनांक
प्रति,

महाप्रबंधक,
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,
समस्त।

विषयः– जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, के अधीन औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि/भवन ऑनलाईन आवंटन संबंधी निर्देश।

......

उपरोक्त विषयान्तर्गत जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, के अधीन औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि/भवन ऑनलाईन आवंटन संबंधी नवीन निर्देशों की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

उद्योग आयुक्त द्वारा अनुमोदित।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

सहायक संचालनालय उद्योग,
कृते उद्योग आयुक्त,म0प्र0

क्रमांक 192 /अधोविक/(बी–2)/2015 /595 भोपाल, दिनांक 5-2-18
प्रतिलिपिः–

1. संयुक्त संचालक उद्योग, परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय समस्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सहायक संचालक उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी कक्ष, मुख्यालय, भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि कृपया निर्देश विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।

5/2/18
सहायक संचालनालय उद्योग,
कृते उद्योग आयुक्त,म0प्र0

Lattar-gk

उद्योग संचालनालय मध्यप्रदेश
(अधोसंरचना विकास कक्ष)

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के अधीन औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि/भवन ऑनलाईन आवंटन संबंधी निर्देश

1. ऑनलाईन भू आवंटन के आवेदन प्राप्त करने हेतु समय–सारणी का निर्धारण उद्योग संचालनालय से किया जायेगा तथा अधीनस्थ कार्यालयों को सूचित किया जायेगा।
2. ऑनलाईन भूमि आवंटन संबंधी समस्त कार्यवाही विभागीय वेबसाईट mpmsme.gov.in के माध्यम से की जायेगी।
3. जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र उनके, यूजरनेम एवं पासवर्ड से औद्योगिक क्षेत्र की विस्तृत जानकारी जैसे :– औद्योगिक क्षेत्र का क्षेत्रफल, स्थान इत्यादि अपलोड करेगें।
4. आवंटन हेतु उपलब्ध भूखण्डों/भवन/शेड की जानकारी जैसे भूखण्ड कमांक, भूखण्ड का आकार, प्रयोजन जैसे :– विनिर्माण, वाणिज्यिक, आवासीय एवं औद्योगिक अनुषांगिक प्रयोजन, ऑनलाईन आवेदन प्रारंभ करने की दिनांक एवं समय तथा ऑनलाईन आवेदन समाप्त होने की दिनांक एवं समय इत्यादि विभागीय वेबसाईट पर अपलोड की जाये।
5. ऑनलाईन आवंटन प्रकिया के अन्तर्गत आवेदन प्राप्त करने से पूर्व स्थानीय समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित कराई जाये, साथ ही प्रचार–प्रसार हेतु औद्योगिक संघों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की जाये।
6. आवेदन शुल्क की राशि सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए राशि रुपये 2000/–, मध्यम उद्योगों के लिए राशि रुपये 5000/– एवं वृहद उद्योगों के लिए राशि रुपये 10,000/– निर्धारित है। आवेदन शुल्क की गणना सॉफ्टवेयर द्वारा स्वतः की जायेगी। आवेदक को आवेदन शुल्क की गणना नहीं करनी है।
7. ऑनलाईन आवेदन के समय प्रीमियम की 25 प्रतिशत राशि जो अग्रिम के रुप में जमा कराई जाती है, उसकी गणना सॉफ्टवेयर द्वारा स्वतः की जायेगी।
8. प्रीमियम की 25 प्रतिशत राशि एवं आवेदन शुल्क की राशि को सॉफ्टवेयर द्वारा स्वतः जोडकर ऑनलाईन भुगतान की प्रकिया की जाती है।
9. आवेदनकर्ता को ऑनलाईन आवेदन करने हेतु विभागीय वेबसाईट पर स्वयं का यूजर आईडी एवं पासवर्ड बनाना होगा तथा आवेदन से पूर्व विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध अद्यतन निर्देशों/अनुदेशों का अध्ययन करना होगा।

10. ऑनलाईन आवेदन प्राप्त होने एवं समाप्त होने की तिथि एवं समय के मध्य आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन विभागीय वेबसाईट mpmsme.gov.in पर किया जा सकेगा।

11. विभागीय वेबसाईट साईबर ट्रेजरी के पेमेंट गेटवे से लिंक है, अतः आवेदन के समय भुगतान की जाने वाली राशि (आवेदन शुल्क एवं 25 प्रतिशत अग्रिम प्रीमियम) का ऑनलाईन भुगतान आवेदन के माध्यम से ही ऑनलाईन किया जावेगा, अर्थात जैसे ही आवेदन पत्र में आवश्यक जानकारी भर दी जावेगी तो भुगतान की जाने वाली राशि का विवरण आवेदक को दिखाई देगा। राशि के भुगतान हेतु "भुगतान करें" बटन पर क्लिक करने पर विभागीय वेबसाईट आवेदक को साईबर ट्रेजरी के पोर्टल के पेमेंट गेटवे पर ले जायेगा तथा भुगतान पूर्ण होने पर आवेदक पुनः विभागीय वेबसाईट पर आ जावेगा।

12. बजट हेड जिसमें राशि जमा की जानी है सॉफ्वेयर द्वारा स्वतः चयनित (Auto Select) रहेगा, जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। आवेदक को बजट हेड चयन करने की आवश्यकता नहीं है।

13. आवेदक द्वारा भुगतान की गई राशि के चालान का विवरण स्वतः विभागीय वेबसाईट पर आ जायेगा। आवेदक को चालान की प्रति संलग्न नहीं करना है।

14. विभागीय वेबसाईट से भिन्न सीधे साईबर ट्रेजरी के माध्यम से जमा की गई राशि का चालान, मेन्यूअल चालान एवं आवेदन प्रारंभ करने की तिथि एवं समय से पूर्व का चालान मान्य नहीं होगा।

15. महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा ऑनलाईन प्राप्त आवेदनो का परीक्षण कर भूमि का "आवंटन प्रथम आओ–प्रथम पाओ" प्रकिया अन्तर्गत किया जायेगा।

16. पात्र आवेदक को आशय–पत्र ऑनलाईन जारी किया जायेगा।

17. आशय–पत्र में उल्लेखित प्रीमियम की शेष 75 प्रतिशत राशि, विकास शुल्क, संधारण शुल्क एवं अग्रिम भू–भाटक की राशि आवेदक द्वारा केवल विभागीय वेबसाईट के माध्यम से ऑनलाईन जमा की जाना अनिवार्य है।

18. आवंटन आदेश, लीजडीड एवं आधिपत्य पत्र ऑनलाईन जारी किये जायेंगे।

19. आनलाईन प्रकिया से संबंधित कोई समस्या आने पर उसके निराकरण / समाधान हेतु संचालनालय से संपर्क किया जाये।

<u>उद्योग आयुक्त द्वारा अनुमोदित।</u>

5-2-18

सहायक संचालक उद्योग,
कृते उद्योग आयुक्त, म0प्र0